न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 27/2024

प्रार्थीगण :-

1. रतनलाल पुत्र मांगीलाल
2. केलीदेवी पत्नी मांगीलाल जातियान गुर्जर निवासीगण भैरूनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. देवाराम पुत्र भंवरलाल
2. दुर्गाराम पुत्र भंवरलाल
3. श्रवण गुर्जर पुत्र श्यामलाल
4. दिनेश गुर्जर पुत्र श्यामलाल
5. कमला देवी पत्नी श्यामलाल
6. सवाईराम पुत्र मांगीलाल
7. राजूराम पुत्र लाबूराम
8. पुखाराम पुत्र लाबूराम
9. अणदाराम पुत्र झुंझारराम
10. हनुमानराम पुत्र झुंझारराम
11. लक्ष्मी देवी पुत्री झुंझारराम
12. गौरीदेवी पत्नी झुंझारराम
13. पप्पुराम पुत्र हेमाराम
14. पारसराम पुत्र हेमाराम
15. बहादुर पुत्र हेमाराम
16. भाकरराम पुत्र हेमाराम
17. बेबुदेवी पुत्री हेमाराम
18. संतोषी पुत्री हेमाराम
19. समुदेवी पुत्री हेमाराम
20. सुगनादेवी पत्नी हेमाराम के का.मु.प्रतिवादी सं. 13 से 19
21. हापूराम पुत्र पोकरराम फौत के कायम मुकामः-
    - 21/1 रमली पत्नी हापूराम
    - 21/2 विशनाराम पुत्र हापूराम
    - 21/3 पप्पूराम पुत्र हापूराम
    - 21/4 चौथाराम पुत्र हापूराम
    - 21/5 राधादेवी पुत्री हापूराम
    - 21/6 गुटीदेवी पुत्री हापूराम
    - 21/7 समुदेवी पुत्री हापूराम
    - 21/8 परमादेवी पुत्री हापूराम
    - 21/9 रमेश पुत्र गेपरराम
    - 21/10 लीला पुत्री गेपरराम
    - 21/11 सुमन पुत्री गेपरराम
    - 21/12 जेतुदेवी पत्नी गेपरराम
22. बाबुलाल पुत्र पोकरराम समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम भैरूनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
23. प्रबन्धक यूको बैंक, खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः- प्रार्थीगण - श्री नरपत सिंह सोलंकी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 19, 21से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 24 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक :-** 5/7/25

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 22 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि ग्राम भैरूनगर, पटवार हल्का खारिया मीठापुर भू-अभिलेख निरीक्षक खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 1960 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा सं. 1961 रकबा 4.0855 हेक्टयर, खसरा सं. 1963 रकबा 0.2103 हैक्टयर, खसरा सं. 1965 रकबा 0.3155 हैक्टयर, खसरा सं. 1988 रकबा 3.2765, खसरा सं. 1989 रकबा 0.2508, खसरा सं. 1990 रकबा 0.1699, खसरा सं. 1991 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा सं. 1992 रकबा 0.1133 हैक्टयर, खसरा सं. 1993 रकबा 0.9061 हैक्टयर, खसरा सं. 1994 रकबा 0.8899 कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.3392 हैक्टयर स्थित है। जिसमें प्रार्थी सं. 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1/12 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 1 से 22 का प्रार्थीगण के हिस्से के अलावा हिस्सा स्थित है। उक्त खसरान की भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। सबूत के रूप में नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 78 पेश है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 22 मौके पर माप चौप कर बंटवाड़ा नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार माप व सीमा ज्ञान कर बंटवाड़ा किया जाकर कानूनन बंटवाड़ा करवाना चाहते है। प्रार्थीगण अपने हिस्से को अलग करवाकर भूमि में सुधार कार्य करवाकर जमीन को उपजाऊ व कीमती बनाना चाहते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा बाबत् प्रस्ताव कई बार रखा, लेकिन किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर टालम टोल करते रहे। प्रार्थीगण ने दिनांक 26-04-2024 को हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग दर्ज करवाने की बात अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने बंटवाड़ा करने में टालमटोल करते रहे एवं अन्तिम बार दिनांक 26-04-2024 को मना कर दिया। प्रार्थीगण को अपने हिस्से अनुसार मौके व राजस्व रेकर्ड में खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का पूर्णरूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 1 से 22 के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर नाप चौप कर पक्षकारों में बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का प्रार्थीगण को जबरदस्ती उपयोग व उपभोग नहीं करने वेगें तथा किसी भी सूरत में राजस्व रेकर्ड व मौके पर बंटवाड़ा नहीं होने देगे. ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर प्रार्थीगण के हिस्से में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न नहीं करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थीगण कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करेगे या भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को दौराने दावा बैचान कर देगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णियक्षति होगी। विविध प्रकार के मुकदमेबाजी होगी, जिसकी पूर्ति रूपये पैसों में नहीं हो सकेगी। इसलिये अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित भूमि को अन्य किसी को रहन, वसीयत, बख्शीश, बैचान इत्यादि करने एवं मौके पर स्वयं, नौकरी चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि द्वारा किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने से जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा ताफैसला दावा रोका जाना न्यायहित में आवश्यक व लाजमी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को रहन, वसीयत, बख्शीश, बैचान इत्यादि करने एवं मौके पर स्वयं, नौकरी चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि द्वारा किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने से जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा ताफैसला दावा रोका जाना का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 19 व 21 से 23 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण या उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई भी उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 19 व 21 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से बाद सम्मन तामिल सरकारी पैरोकार उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 24 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :-

1. ***प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदारी भूमि है अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी सकती। प्रार्थीगण ने अपने हस्तगत प्रकरण में कथन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में 1/12 वां हिस्से के रेकर्डेड खातेदार है। मौके पर माप चौप कर बंटवाडा नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अपने हिस्से को अलग करवाकर भूमि में सुधार कार्य करवाकर जमीन को उपजाउ बनाना चाहते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद दिनांक 26.04.2024 को उत्पन्न हुआ। राजस्व ग्राम भैरूनगर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 1992 किस्म गैर मुमकिन बेरा व खसरा नंबर 1963 किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। गैर मुमकिन रास्ता व गैर मुमकिन बेरा की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

के विरुद्ध मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह मान्य सिद्धांत है कि ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अधिकार एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में केवल उसी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में संयुक्त रूप से काबिज व काश्त करना बताया है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। क्योंकि दोनों रेकर्डेड खातेदार है। दोंनों का बराबर हिस्सा राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 9/2/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा